यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0
(पूर्ववर्ती : उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)

(उ0प्र0 शासन का प्रतिष्ठान)
CIN No. U81320UP1976SGC004297
पंजीकृत कार्यालय : टी0सी0/46–V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्यालय–ज्ञाप

निगम कार्मिकों को अवकाश नकदीकरण के अंशदान का भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जिससे सम्बन्धित पॉलिसी संख्या–एन0जी0एल0ई0एस0–20774208 निर्गत है। इस पॉलिसी के अनुसार फण्ड का प्रबन्धन निगम की ओर से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। जिसके अन्तर्गत निगम कार्मिकों के अवकाश नकदीकरण प्राप्त होने/मृत्यु इत्यादि की दशा में भुगतान किया जाता है एवं निगम द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को भुगतान सी0पी0एफ0 शाखा द्वारा किया जाता है।

इस प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुये निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

निगम के कार्मिकों को अवकाश नकदीकरण की धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त होने पर आयकर प्राविधानों के अनुसार अवकाश नकदीकरण की धनराशि ₹ 3,00,000.00 की सीमा तक होने पर उसका भुगतान सी0पी0एफ0 अनुभाग द्वारा पूर्व की भाँति किया जायेगा तथा ₹ 3,00,000.00 से अधिक होने पर सी0पी0एफ0 अनुभाग द्वारा उसका भुगतान चेक के माध्यम से निगम के लेखानुभाग को किया जायेगा। लेखानुभाग द्वारा उसमें से आयकर नियमों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती करके शेष भुगतान सम्बन्धित कार्मिक को किया जायेगा एवं उसकी सूचना सी0पी0एफ0 अनुभाग को दी जायेगी। टी0डी0एस0 की धनराशि लेखानुभाग द्वारा आयकर के खाते में जमा कराई जायेगी एवं उसका फॉर्म–16 यथासमय जारी किया जायेगा।

उक्त प्रक्रिया तत्कालिक प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

(वी0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक:– 5057/118/सी0पी0एफ0/34/2014–15 दिनांक:– 28 अगस्त,2015

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त अधिकारी/कर्मचारी, यू0पी0सिडको।
2– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, यू0पी0सिडको।
3– समस्त मुख्य अभियन्ता (मध्य, पश्चिम, पूर्व), यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।
4– मुख्य महाप्रबन्धक, यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।
5– महाप्रबन्धक (वित्त एवं प्रशासन), यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।
6– वरिष्ठ आन्तरिक सम्परीक्षण अधिकारी/कार्मिक प्रबन्धक, यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।
7– लेखाधिकारी (सी0पी0एफ0 शाखा), यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।
8– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।
9. नोटिस बोर्ड हेतु।

(ए0के सन्त)
मुख्य महाप्रबन्धक

यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0,
पूर्ववर्ती–उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0,
टी0सी0–46–V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्यालय आदेश

निगम कार्यो की सुगमता तथा कार्यहित के दृष्टिगत कार्यालय आदेश संख्या–1695/3–5(3)/82–83 दिनॉक–27 मार्च में आंशिक संशोधन करते हुये यह आदेश दिये जाते हैं कि निगम की सेवा से निवृत्त(सेवा निवृत्ति/सेवा छोडने/सेवा से निष्कासित/मृत्यु) होने वाले कार्मिकों के अदेय प्रमाण–पत्र संबंधी प्रारूप–1 व प्रारूप–II कार्मिक प्रबन्धक/महाप्रबन्धक(वित्त एवं प्रशासन)/मुख्य महाप्रबन्धक के हस्ताक्षर से निर्गत किये जायेंगे।

उक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होंगे।

प्रांजल यादव
प्रबन्ध निदेशक

संख्या– 7838/3–5(3)/82–83 वाल्यूम–II दिनॉक–30-नवम्बर, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–:

1– मुख्य महाप्रबन्धक, यू0पी0 सिडको, मुख्यालय।
2– महाप्रबन्धक(वित्त एवं प्रशासन), यू0पी0 सिडको, मुख्यालय।
3– मुख्य अभियंता(मध्य)/प्रभारी मुख्य अभियंता(पूर्व/पश्चिम), यू0पी0 सिडको, मुख्यालय।
4– सलाहकार(संविदा), यू0पी0 सिडको, मुख्यालय।
5– वरिष्ठ लेखाधिकारी, यू0पी0 सिडको, मुख्यालय।
6– कार्मिक प्रबन्धक, यू0पी0 सिडको, मुख्यालय।
7– विधि अधिकारी, यू0पी0 सिडको, मुख्यालय।
8– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 सिडको, मुख्यालय।
9– नोटिस बोर्ड पर समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अवगतार्थ।

(ए0के0संत)
मुख्य महाप्रबन्धक
कृते प्रबन्ध निदेशक

यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0

(पूर्ववर्ती : उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)

(उ0प्र0 शासन का प्रतिष्ठान)

CIN No. U81320UP1976SGC004297

पंजीकृत कार्यालय : टी0सी0/46-V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्यालय-आदेश

निगम के कार्यालय आदेश संख्या-7489/सी0पी0एफ0/82/23वीं बैठक/बेनीवोलेण्ट फण्ड/2010-11 दिनांक 04.12.2010 के बिन्दु संख्या-03 के सन्दर्भ में निगम के अधिकारी/कर्मचारी बेनीवोलेण्ट फण्ड की प्रबन्ध कमेटी की दिनांक 19.09.2017 को आयोजित 35वीं बैठक में पारित संकल्प संख्या-08 के अनुपालन में बेनीवोलेण्ट फण्ड के सदस्यों के वेतन से मासिक अंशदान की कटौती को निम्नवत् संशोधित किये जाने का निर्णय लिया जाता है:-

"क" श्रेणी	"ख" श्रेणी	"ग" श्रेणी	"घ" श्रेणी
125 प्रतिमाह	100 प्रतिमाह	75 प्रतिमाह	50 प्रतिमाह

उक्त कटौती पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित कार्मिक के पद की श्रेणी के अनुसार ही की जायेगी। उक्त आदेश दिनांक 01.10.2017 से प्रभावी होगा।

(जे0पी0 त्रिवेदी)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक:- 6380/सी0पी0एफ0/प्रबन्ध कमेटी 35वीं बैठक/2017-18
दिनांक:-25 अक्टूबर,2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त नियमित कर्मचारी/अधिकारी, यू0पी0सिडको।
2- अध्यक्ष समस्त संघ।
3- समस्त सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0सिडको।
4- कार्मिक प्रबन्धक/वरिष्ठ लेखाधिकारी, यू0पी0सिडको, मुख्यालय।
5- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, यू0पी0सिडको।
6- मुख्य अभियन्ता (पूर्व/पश्चिम), यू0पी0सिडको, मुख्यालय।
7- महाप्रबन्धक (निर्माण) यू0पी0सिडको, मुख्यालय।
8- मुख्य महाप्रबन्धक, यू0पी0सिडको, मुख्यालय।
9- नोटिस बोर्ड हेतु।

25.10.17

(अजय कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबन्धक
कृते प्रबन्ध निदेशक

यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0
(पूर्ववर्ती : उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)
(उ0प्र0 शासन का प्रतिष्ठान)
CIN No. U81320UP1976SGC004297
पंजीकृत कार्यालय : टी0सी0 / 46–V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्यालय–आदेश

निगम के अधिकारी / कर्मचारी बेनीवोलेण्ट फण्ड की प्रबन्ध कमेटी की दिनांक 15.10.2015 को सम्पन्न हुई 33वीं बैठक में पारित संकल्प संख्या–33 (02) में लिये गये निर्णयानुसार निगम के सेवानिवृत्त कार्मिक को देय मानदेय की धनराशि ₹ 5,000.00 को बढ़ाकर ₹ 10,000.00 (रूपये दस हजार मात्र) किया जाता है।

उक्त आदेश दिनांक 15.10.2015 से लागू होंगे। अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

29/10
(प्रांजल यादव)
प्रबन्ध निदेशक / अध्यक्ष

पत्रांकः– 6963 / 3–5(2) / 76 / सरकुलर / सी0पी0एफ0 / 2014–15 Vol.-II 03-11
दिनांकः– ~~अक्टूबर~~,2015

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त नियमित कर्मचारी / अधिकारी, यू0पी0सिडको।
2– समस्त सहायक अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0सिडको।
3– लेखाधिकारी (सी0पी0एफ0), यू0पी0सिडको, मुख्यालय।
4– वरिष्ठ लेखाधिकारी / कार्मिक प्रबन्धक, यू0पी0सिडको, मुख्यालय।
5– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / अधीक्षण अभियन्ता, यू0पी0सिडको।
6– समस्त प्रभारी / मुख्य अभियन्ता (मध्य / पूर्व / पश्चिम), यू0पी0सिडको, मुख्यालय।
7– महाप्रबन्धक (वित्त एवं प्रशासन), यू0पी0सिडको, मुख्यालय।
8– मुख्य महाप्रबन्धक, यू0पी0सिडको, मुख्यालय।
9– नोटिस बोर्ड हेतु।

(अजय कुमार श्रीवास्तव)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं प्रशासन) / सचिव
कृते प्रबन्ध निदेशक

यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0

(पूर्ववर्ती : उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)

(उ0प्र0 शासन का प्रतिष्ठान)

CIN No. U81320UP1976SGC004297

पंजीकृत कार्यालय : टी0सी0/46–V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्यालय–ज्ञाप

निगम में स्थापित सी0पी0एफ0 ट्रस्ट (पंजीयन संख्या–UP/0007486000) के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की दिनांक 29.12.2015 को आयोजित 69वीं बैठक में पारित संकल्प संख्या–02 के द्वारा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय आदेश संख्या– S-35015/8/2015-SS II दिनांक 10.12.2015 को अंगीकृत एवं स्वीकृत किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप निगम में लागू कर्मचारी भविष्य निधि योजना ऐक्ट 1952 के पैरा–27 A के अन्तर्गत ट्रस्ट को प्राप्त relaxation की तिथि 01.05.1994 से नियमावली में निहित 31 शर्तों सहित Exemption प्राप्त हो चुका है।

अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगी।

(प्रांजल यादव)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः– 1053/3–5(02)/76/सी0पी0एफ0/सरकुलर/2003–04 Vol III

दिनांकः– 06-05- अप्रैल,2016

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त नियमित कर्मचारी/अधिकारी, यू0पी0सिडको।

2– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, यू0पी0सिडको।

3– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0सिडको।

4– समस्त मुख्य अभियन्ता (मध्य, पश्चिम, पूर्व), यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।

5– कार्मिक प्रबन्धक, यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।

6– वरिष्ठ लेखाधिकारी, यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।

7– वरिष्ठ आन्तरिक सम्परीक्षण अधिकारी, यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।

8– मुख्य महाप्रबन्धक, यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।

9– नोटिस बोर्ड हेतु।

(अजय कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबन्धक
कृते प्रबन्ध निदेशक

यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0

(पूर्ववर्ती : उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)

(उ0प्र0 शासन का प्रतिष्ठान)

CIN No. U81320UP1976SGC004297

पंजीकृत कार्यालय : टी0सी0 / 46–V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्यालय–आदेश

निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों के अदेय प्रमाण–पत्र में दर्शायी गई वसूली का समायोजन उनके सामूहिक बीमा योजना, ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण से किये जाने के निर्देश निगम के कार्यालय आदेश संख्या–5280 / सी0पी0एफ0 / 319 / 2005–06 दिनांक 04.09.2006 द्वारा दिये गये थे। इस सम्बन्ध में विधिक मत प्राप्त करने के उपरान्त उक्त व्यवस्था में परिवर्तन करते हुये निर्देश दिये जाते हैं कि निगम की सेवा से सेवानिवृत्त / सेवा से पृथक / निवर्तमान / मृतक कार्मिकों के देयों के भुगतान हेतु प्राप्त होने वाले अदेय प्रमाण–पत्र के अनुसार निगम के देयों की वसूली सर्वप्रथम कार्मिकों को देय अवकाश नकदीकरण की धनराशि से की जायेगी तथा उसके उपरान्त अवशेष वसूली देय ग्रेच्युटी की धनराशि से समायोजित की जायेगी।

उपरोक्त आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

(प्रांजल यादव)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः– 1052–/3–5(03) / सी0पी0एफ0 / 82–83 Vol II   दिनांकः– 06–~~अप्रैल~~ 05–2016

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही तथा अधीनस्थ कार्मिकों के अवगतार्थ प्रेषित।

1– समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता, यू0पी0सिडको।

2– समस्त मुख्य अभियन्ता (मध्य, पश्चिम, पूर्व), यू0पी0सिड्को, मुख्यालय, लखनऊ।

3– कार्मिक प्रबन्धक / वरिष्ठ आन्तरिक सम्परीक्षण अधिकारी / वरिष्ठ लेखाधिकारी, यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।

4– मुख्य महाप्रबन्धक, यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।

5– नोटिस बोर्ड पर मुख्यालय पर कार्यरत कार्मिकों के अवगतार्थ।

6– निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।

(अजय कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य महाप्रबन्धक
कृते प्रबन्ध निदेशक

यू0पी0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0

(पूर्ववर्ती : उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0)

(उ0प्र0 शासन का प्रतिष्ठान)

CIN No. U81320UP1976SGC004297

पंजीकृत कार्यालय : टी0सी0/46–V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्यालय आदेश

सी0पी0एफ0 ट्रस्ट की प्रबन्ध कमेटी की 64वीं बैठक दिनांक 23.01.2015 में लिये निर्णय के परिपेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि निगम के सेवानिवृत्त, त्याग–पत्र देने वाले, सेवा से पृथक एवं मृतक कार्मिकों के मामलों में ई0पी0एफ0 व अन्य देयों के शीघ्र निस्तारण के लिये ऐसे कार्मिकों के सम्बन्ध में इकाई/मुख्यालय कार्यालय में अन्तिम दिवस के चालू वर्ष के भुगतान सहित विगत माह मार्च सहित किये गये वेतन भुगतान–ई0पी0एफ0/वी0पी0एफ0/जी0आई0एस0 व बेनीवोलेण्ट व अन्य कटौतियों सहित सी0पी0एफ0 शाखा को प्रेषित किया जाना आवश्यक है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर सी0पी0एफ0 शाखा को सेवानिवृत्ति के एक सप्ताह पूर्व एवं मृतक/त्याग–पत्र के मामलों में 10 दिनों के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये ताकि ई0पी0एफ0 का पूर्ण एवं अन्तिम भुगतान व अन्य देयों का निस्तारण शीघ्र किया जा सके अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/लेखा कर्मी विलम्ब के लिये पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों द्वारा सेवानिवृत्त के माह में अपने देयों के भुगतान हेतु प्रेषित पत्रों में सेवानिवृत्त देयों का R.T.G.S/NEFT के माध्यम से किये जाने की माँग करने पर बैंक का नाम एवं शाखा, के बचत खाता संख्या, आई0एफ0एस0 कोड, एवं बैंक पास–बुक के प्रथम पृष्ठ की स्वयं प्रमाणित हस्ताक्षरित प्रति प्रीरिसिप्ट सहित उपलब्ध कराये जाने पर निगम द्वारा देयों का भुगतान सम्बन्धित कार्मिक के बचत खाते में R.T.G.S/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

(वी0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः– 10118/3–5(2)/76/सर्कुलर/सी0पी0एफ0/2014–15 Vol-II दिनांकः– 09-मार्च2015

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को अवलोकनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः–

1– समस्त कर्मचारी/अधिकारी, यू0पी0सिडको।
2– समस्त सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, यू0पी0सिडको।
3– समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता, यू0पी0सिडको।
4– लेखाधिकारी (पी0एफ0), यू0पी0सिडको, मुख्यालय, लखनऊ।
5– कार्मिक प्रबन्धक/वरिष्ठ आन्तरिक सम्परीक्षण अधिकारी, यू0पी0सिडको, मुख्यालय।
6– मुख्य अभियन्ता (पूर्व/मध्य), यू0पी0सिडको, मुख्यालय।
7– महाप्रबन्धक (वित्त एवं प्रशासन), यू0पी0सिडको, मुख्यालय।
8– नोटिस बोर्ड हेतु।

(ए0के सन्त)
मुख्य महाप्रबन्धक

उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0,
लेखराज मार्केट, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।

कार्यालय-आदेश

निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों के सामूहिक बीमा, ग्रेच्युटी, अवकाश-नकदीकरण देयों के शीघ्र निस्तारण के सम्बंध में यह निर्देश दिये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिकों के विरुद्ध निगम के लागत प्रकोष्ठ, लेखानुभाग, सम्परीक्षणानुभाग, तकनीकी शाखा एवं इकाई पर विवाराधीन वसूली के मामलों का निस्तारण शीघ्रता से करके सी0पी0एफ0 शाखा को स्पष्ट अदेय प्रमाण पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाय जिसमें केवल निगम द्वारा विभिन्न मामलों की वसूल की जाने वाली धनराशि का ही उल्लेख हो । स्थापना शाखा से वांछित अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही सी0पी0एफ0 शाखा द्वारा सम्बंधित कार्मिकों को सामूहिक बीमा, ग्रेच्युटी, अवकाश-नकदीकरण के भुगतान का निस्तारण वसूली योग्य धनराशि के समायोजन के उपरांत किया जायेगा ।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

04.9.06
नरेन्द्र कुमार चौधरी
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 5280/सी0पी0एफ0/319/2005-06 दिनांक: सितम्बर 04, 2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त सहायक/अधिशासी अभियंता, अप्सकन्न ।
(2) समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/अधीक्षण अभियंता, अप्सकन्न ।
(3) समस्त मुख्य अभियंता (पूर्व, मध्य, पश्चिम), अप्सकन्न, मुख्यालय ।
(4) कार्मिक प्रबन्धक/वरिष्ठ आन्तरिक सम्परीक्षक, अप्सकन्न, मुख्यालय ।
(5) सहायक सम्परीक्षण अधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी (लागत प्रकोष्ठ), अप्सकन्न, मुख्यालय ।
(6) उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), अप्सकन्न, मुख्यालय ।
(7) महाप्रबन्धक (वित्त एवं प्रशासन), अप्सकन्न, मुख्यालय ।
(8) महाप्रबन्धक (निर्माण) सह मुख्य अभियंता, अप्सकन्न, मुख्यालय ।

04.9.06
(नरेन्द्र कुमार चौधरी)
प्रबन्ध निदेशक

उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0,
लेखराज मार्केट, इन्दिरानगर, लखनऊ ।

D.F.A.

कार्यालय- आदेश

निगम की सेवा में कार्यरत सेवकों की असामायिक मृत्यु हो जाने के कारण मृत सेवक के परिवार को देय मृत्यु लाभों को शीघ्र निस्तारित करने के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित प्रक्रिया लागू की जाती है-

मृतक सेवक का नामांकन उपलब्ध होने पर नामित व्यक्ति अथवा नामांकन उपलब्ध न होने की दशा में मृतक परिवार के सदस्यों द्वारा सी0पी0एफ0 अनुभाग को आवेदन-पत्र उपलब्ध कराये जायेगें। तद्धोपरान्त स्थापना अनुभाग द्वारा मृतक सेवक के सम्बन्ध में प्रारूप एक पर 15 दिन के अन्दर सूचना उपलब्ध करायी जायेगी। स्थापना अनुभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर सी0पी0एफ0 अनुभाग द्वारा भविष्यनिधि अवमुक्त करने की कार्यवाही की जायेगी। कर्मचारी पेन्शन योजना के अन्तर्गत विधवा पेन्शन तथा बच्चा पेन्शन के दावा प्रपत्र क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त को अग्रसारित करने की कार्यवाही की जायेगी। ई0डी0 एल0आई0 योजना के अन्तर्गत बीमा लाभ, ग्रेच्युटी योजना के अन्तर्गत सर्विस ग्रेच्युटी तथा बीमा लाभ एवं बचतमय सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत बचत धनराशि एवं बीमा लाभ के दावा प्रपत्र भारतीय जीवन बीमा निगम को अग्रसारित करने की कार्यवाही की जायेगी।

स्थापना अनुभाग प्रारूप दो पर अदेय प्रमाण-पत्र एक माह के अन्दर सी0पी0एफ0 अनुभाग को उपलब्ध करायेगा तथा उक्त प्रमाण-पत्र के आधार पर मृतक सेवक के विरुद्ध निगम की बकाया धनराशि का समायोजन मृतक की ग्रेच्युटी धनराशि बचतमय बीमा धनराशि से करते हुये ग्रेच्युटी तथा बचतमय बीमा की अवशेष धनराशि दावेदार को अवमुक्त की जायेगी।

18.03.98

(नन्द किशोर)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 1696/3-5(3)/82-83 दिनांक 27 मार्च 1998

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(1) महा प्रबन्धक (प्रशासन) अप्सकन्न, मुख्यालय, लखनऊ ।
(2) महा प्रबन्धक (निर्माण) सह मुख्य अभियन्ता, अप्सकन्न, मुख्यालय, लखनऊ ।
(3) वरिष्ठ आन्तरिक सम्परीक्षक अधिकारी, अप्सकन्न, मुख्यालय, लखनऊ ।
(4) वरिष्ठ लेखाधिकारी, अप्सकन्न, मुख्यालय, लखनऊ ।
(5) प्रशासनिक अधिकारी, अप्सकन्न, मुख्यालय, लखनऊ ।
(6) सहायक लेखाधिकारी, सी0पी0एफ0, अनुभाग, अप्सकन्न, लखनऊ

18.03.98

(नन्द किशोर)
प्रबन्ध निदेशक

उ0प्र0 समाज कल्याण निमार्ण निगम लि0,
लेखराज मार्केट, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

D.F.A.

कार्यालय- आदेश

निगम की सेवा छोड़ने वाले सेवकों के सेवा निवृत्त लाभों-भविष्यनिधि, कर्मचारी पेन्शन, सर्विस ग्रेच्युटी तथा बचतमय सामूहिक बीमा योजना की धनराशियों को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है-

(क) अधिवर्षता पूर्ण करने के फलस्वरूप सेवा निवृत्ति:-

निगम के स्थापना अनुभाग, द्वारा सम्बन्धित सेवक से सेवा निवृत्ति की तिथि के एक माह पूर्व समस्त दावा प्रपत्र भरवाये जायेंगे तदोपरान्त स्थापना अनुभाग द्वारा प्रारूप एक एवं दो पूर्ण करके उक्त दावा प्रपत्र सेवा निवृत्ति वाले माह में सी0पी0एफ0 अनुभाग को उपलब्ध करा दिये जायेंगें। सी0पी0एफ0 अनुभाग प्राप्त दावा प्रपत्रों पर 30 दिन के अन्दर देय धनराशि अवमुक्त/अग्रसारित करने की कार्य - वाही सुनिश्चित करेगा।

(ख) सेवा से त्यागपत्र देने के फलस्वरूप कार्यमुक्त:-

सम्बन्धित सेवक से प्राप्त आवेदन पत्र निस्तारित करने हेतु सी0पी0एफ0 अनुभाग निगम के स्थापना से प्रारूप एक एवं दो पर सूचना एकत्र करेगा। स्थापना अनुभाग 15 दिन के अन्दर प्रारूप एक की सूचना उपलब्ध करायेगा तदोपरान्त सी0पी0एफ0 अनुभाग द्वारा भविष्यनिधि अवमुक्त कर दी जायेंगी एवं कर्मचारी पेन्शन दावा, ग्रेच्युटी दावा तथा बचतमय सामूहिक बीमा दावा प्रपत्र सम्बन्धित कार्यालय को अग्रसारित कर दिये जायेंगे। तीन माह के अन्दर स्थापना अनुभाग से प्रारूप दो प्राप्त हो जाने पर ग्रेच्युटी तथा बचतमय सामूहिक बीमा की धनराशि आवश्यक समायोजन करके सेवक को अवमुक्त कर दी जायेगी।

भविष्य में उक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया जायेगा अन्यथा बिलम्ब होने की दशा में सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से दोषी माने जायेंगें।

18-03-98
(नन्द किशोर)
प्रबन्ध निदेशक,

पत्रावली संख्या 1695/3-5(3)/82-83 दिनांक 27 मार्च 1998.

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महा प्रबन्धक (प्रशासन) उ0प्र0स0क0नि0नि0लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
(2) महा प्रबन्धक (निमार्ण) सह मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0स0क0नि0नि0लि0, लखनऊ।
(3) वरिष्ठ आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी, उ0प्र0स0क0नि0नि0लि0, लखनऊ।
(4) वरिष्ठ लेखाधिकारी, उ0प्र0स0क0नि0नि0लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
(5) सहायक लेखाधिकारी, सी0पी0एफ0, अनुभाग, उ0प्र0स0क0नि0नि0लि0, लखनऊ।
(6) नोटिस बोर्ड

18-03-98
(नन्द किशोर)
प्रबन्ध निदेशक

नौकरी छोड़ने वाले सेवक के सम्बन्ध में सूचना-(प्रारूप दो)

अदेय प्रमाण- पत्र

पत्रावली संख्या...दिनांक...........

सेवक का नाम..

(1) वेतन अग्रिम रू0...................की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं हैं

(2) फेस्टीवल अग्रिम रू0...............की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं हैं

(3) उपकरण अग्रिम रू0...............की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं हैं

(4) मोटर साईकिल/कार अग्रिम रू0............की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं हैं

(5) भवन अग्रिम रू0...................की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं हैं

(6) अन्य लिये गये अग्रिम (प्रकार सहित) रू0............की धनराशि शेष है/ कोई धनराशि शेष नहीं हैं

(7) आडिट के फलस्वरूप निर्धारित वसूली रू0..........की धनराशि देय है/कोई धनराशि शेष नहीं हैं

(8) विभागीय अथवा अन्य किसी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप निर्धारित वसूली रू0.......... की धनराशि शेष हैं

(9) श्री.....................(सेवक का नाम) के विरूद्ध कोई न्यायिक/वैभागिक अथवा प्रशासनाधिकरण जाँच लम्बित नहीं है/है/(यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण-जैसे यदि निगम को वित्तीय हानि पहुँचाई गयी है तो उसका आधार एवं धनराशि का विवरण दिया जाये।

( ) ( ) ( )

प्रशासनिक अधिकारी | महा प्रबन्धक (प्रशासन) | प्रबन्ध निदेशक

अनुमोदित

प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण
निर्माण निगम लिमिटेड,
लखनऊ
24.12.97

नौकरी छोड़ने वाले सेवक के सम्बन्ध में सूचना

प्रारूप: एक

पत्रावली संख्या...दिनांक.............

(1) कर्मचारी/अधिकारी का नाम एवं पिता/पति का नाम :

(2) पद :

(3) अन्तिम तैनाती कार्यालय का नाम :

(4) निगम सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि:

(5) अभिलेखों के अनुसार सेवक की जन्मतिथि :

(6) निगम सेवा छोड़ने का कारण एवं तिथि :
(सेवा निवृत्ति/मृत्यु/त्यागपत्र/सेवासमाप्त) :

(7) यदि सेवा छोड़ने का कारण मृत्यु है तो मृत्यु के कारण :

(8) यदि सेवा छोड़ने का कारण त्यागपत्र है तो कार्यमुक्त की तिथि एवं सेवा से दिये गये त्यागपत्र को स्वीकृत करने सम्बन्धी आदेश की संख्या एवं तिथि :

(9) अन्तिम वेतन------------------मूल वेतन रु0--------------मँहगाई भत्ता------

(10) सेवा का इतिहास: सेवक की सेवा पुस्तिका सही एवं पूर्ण करते हुये संलग्न है तथा सेवा का संक्षिप्त इतिहास निम्नवत् है-

क्रमांक	कब से कब तक (केवल दिनांक दिये जाये)	धारित पद	तैनाती का स्थान (अवकाश, असाधारण अवकाश, निलम्बन, पदोन्नति, पदवनति, प्रतिनियुक्ति, व्यवधान की अवधियां भी इंगित की जायें।)	यदि कोई अवधि पेन्शनयुक्त नहीं है तो कारण सहित उसका विवरण दिया जाय।
1	2	3	4	5

( ) ( ) ( )

प्रशासनिक अधिकारी | महा प्रबन्धक (प्रशासन) | प्रबन्ध निदेशक

अनुमोदित

प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण
निर्माण निगम लि०